न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः आशाराम डूडी, आर.ए.एस.)

प्रार्थी

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सिरोही, जिला सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

स्वर्गीय श्री चिमनसिंह पुत्र श्री भारतसिंह, जाति- राजपूत, निवासी- सिरोही, तहसील व जिला- सिरोही के उत्तराधिकारीगणः-

1. श्री रावत सिंह पुत्र श्री चिमनसिंह, जाति- राजपूत, निवासी- टांकरिया, गली नं. 5, सिरोही, तहसील व जिला- सिरोही
2. श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री चिमनसिंह, जाति- राजपूत, निवासी- टांकरिया, गली नं. 5, सिरोही, तहसील व जिला- सिरोही
3. श्री भूपेन्द्र सिंह पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह, जाति-राजपूत, निवासी- क्रांगआवास, सिरोही
4. हीना कुंवर पुत्री श्री नरेन्द्र सिंह, जाति- राजपूत, निवासी- क्रांगुआवास, सिरोही
5. श्रीमती चन्द्र कुंवर पत्नि श्री नरेन्द्रसिंह, जाति-राजपूत, निवासी-क्रांगुआवा, सिरोही
6. खुशवन्ती कुंवर पुत्री श्री चिमनसिंह, जाति-राजपूत, निवासी- राठौड लाईन, सिरोही
7. देवी कुंवर पुत्री श्री चिमनसिंह, जाति- राजपूत, निवासी- मोचीवाडा, सिरोही
8. शकुन्तला कुंवर पुत्री श्री चिमनसिंह, जाति-राजपूत, निवासी- राठौड लाईन, सिरोही
9. इन्द्रा कुंवर पुत्री श्री चिमनसिंह, जाति- राजपूत, निवासी- डाबी लाईन, सिरोही
10. ललीता कुंवर पुत्री श्री चिमनसिंह, जाति- राजपूत, निवासी- मोचीवाडा, सिरोही
11. उर्मिला कुंवर पुत्री श्री चिमनसिंह, जाति- राजपूत, निवासी- दाणपत नगर कॉलोनी, सिरोही, तहसील व जिला- सिरोही
12. प्रेम कुंवर पुत्री श्री चिमनसिंह, जाति-राजपूत, निवासी-टांकरिया, गली नं.5, सिरोही
13. मुनिया कुंवर पुत्री श्री चिमनसिंह, जाति- राजपूत, निवासी- सार्दुलापुरा कॉलोनी, सिरोही, तहसील व जिला- सिरोही

राजस्व निगरानी संख्याः 01/2013

"प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970"

उपस्थितिः .

1. पेरोकार सरकार, प्रार्थी की ओर से
2. अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार सुराणा, अप्रार्थीगण की ओर से

-: निर्णय :- **दिनांक 28 मई, 2018**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी तहसीलदार, सिरोही द्वारा यह प्रार्थना पत्र श्री चिमनसिंह पुत्र श्री भारत सिंह, जाति- राजपूत, निवासी- सिरोही को ग्राम माण्डवा, पटवार हल्का गोल के खसरा संख्या 813 रकबा 1.62 हेक्टेयर किस्म बारानी-2 भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ किया गया आवंटन निरस्त कराने हेतु इस बिनाय पर

.....पेज दो पर

अति. जिला कलेक्टर
सिरोही (राज.)

प्रस्तुत किया है कि ग्राम माण्डवा के खसरा संख्या 813 रकबा 1.62 हेक्टेयर किस्म बारानी-2 भूमि का आवंटन गैर खातेदारी के तौर पर श्री चिमनसिंह पुत्र श्री भारत सिंह, जाति- राजपूत, निवासी- सिरोही को हुआ था। खसरा गिरदावरी की नकल संवत खसरा गिरदावरी की नकल संवत 2065 से 2067 तक के अनुसार आवंटि चिमनसिंह ने आवंटित भूमि पर काश्त नही की है व न ही कब्जा है। आवंटि चिमनसिंह का आवंटित भूमि पर कब्जा-काश्त नही रहा है। आवंटि चिमनसिंह द्वारा आवंटन शर्तो का उल्लंघन किया गया है, इसलिये उक्त आवंटन को निरस्त किया जावे।

(2) प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी चिमनसिंह को नोटिस जारी किया। अप्रार्थी चिमनसिंह को जारी नोटिस इस रिपोर्ट के साथ अदम तामिल प्राप्त हुआ कि श्री चिमनसिंह की मृत्यु हो चुकी है। जिस पर प्रार्थी तहसीलदार, सिरोही द्वारा मृतक श्री चिमनसिंह पुत्र श्री भारत सिंह, जाति- राजपूत, निवासी- सिरोही के उत्तराधिकारियों को रेकर्ड पर लेने व पक्षकार बनाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र किया गया। जिस पर बाद सुनवाई प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.10.2017 के द्वारा तहसीलदार, सिरोही द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. को स्वीकार किया जाकर मृतक श्री चिमनसिंह पुत्र श्री भारतसिंह, जाति- राजपूत, निवासी- सिरोही के उत्तराधिकारियों (अप्रार्थी संख्या 1 ता 13) को पक्षकार बनाया गया। प्रकरण की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या- 1 ता 13 की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार सुराणा उपस्थित हुये एवं अप्रार्थीगण की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया।

(3) उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि मृतक श्री चिमन सिंह पुत्र श्री भारतसिंह, जाति- राजपूत, निवासी- सिरोही को ग्राम माण्डवा, पटवार हल्का गोल के खसरा संख्या 813 रकबा 1.62 हेक्टेयर किस्म बारानी-2 भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किया गया था, लेकिन उक्त आवंटित भूमि पर आवंटि श्री चिमन सिंह का कब्जा-काश्त नही रहा है एवं न ही श्री चिमनसिंह के उत्तराधिकारियों (अप्रार्थी संख्या 1 ता 13) का उक्त आवंटित भूमि पर कब्जा-काश्त रहा है। आवंटि श्री चिमनसिंह एवं अप्रार्थीगण द्वारा आवंटन शर्तो का उल्लंघन किया गया है, इसलिये उक्त आवंटन को निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अप्रार्थीगण के पूर्व रसाधिकारी श्री चिमनसिंह को दिनांक 31.8.1971 को ग्राम माण्डवा, पटवार हल्का गोल के खसरा संख्या 813 रकबा 1.62 हेक्टेयर अर्थात् 10.00 कृषि भूमि का आवंटन हुआ था। श्री चिमनसिंह को आवंटित कृषि भूमि के पुराने खसरा संख्या 505/559 है। उक्त कृषि भूमि के नये खसरा संख्या 813 व रकबा 1.6200 हेक्टेयर बने है। उक्त आवंटित भूमि पर अप्रार्थीगण के पूर्व रसाधिकारी चिमनसिंह जी का कब्जा-काश्त एवं हक अधिकार उनके जीवनकाल तक गत 41 वर्षो से लगातार रहा है एवं चिमनसिंह जी की मृत्यु के बाद उक्त कृषि भूमि चिमनसिंह जी के वारिसान अप्रार्थीगण के कब्जे व खातेदारी हक अधिकार की कृषि भूमि है। संवत 2065-2067 की अवधि में प्रश्नगत भूमि पर कब्जा काश्त नही होने का कथन गलत है, अकाल की स्थिति में प्रश्नगत कृषि भूमि पर काश्त की जाना संभव नही है,

.....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

क्योंकि प्रश्नगत भूमि पर केवल बरसाती खेती ही होती है। उक्त कृषि भूमि पर वर्ष 2012 की वर्षा ऋतु में बाबुलाल पुत्र अमराजी भाट, निवासी- माण्डवा एवं कुन्दनसिंह पुत्र जोरावर सिंह राजपूत द्वारा अवैध कब्जा किये जाने पर मृतक चिमनसिंह ने उक्त बाबुलाल पुत्र अमराजी भाट एवं कुन्दनसिंह पुत्र जोरावरसिंह राजपूत के विरुद्ध सहायक कलेक्टर, सिरोही के न्यायालय में धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत वाद प्रस्तुत किया था जिसके राजस्व वाद संख्या 224/2012 है तथा उक्त वाद में सहायक कलेक्टर, सिरोही द्वारा दिनांक 20.5.2013 को निर्णय पारित कर वादी चिमनसिंह के वाद को स्वीकार कर डिक्री किया गया तथा तहसीलदार, सिरोही को आदेश दिया कि ग्राम माण्डवा, पटवार हल्का गोल में वादी के खातेदारी में स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 813 क्षेत्रफल 1.6200 हेक्टेयर का कब्जा वादी को सुपर्द करे। वादी ने उक्त निर्णय की पालना करवाये जाने हेतु राजस्थान राज्य व अन्य के विरुद्ध आदेश 21 नियम 11 सी.पी.सी. के तहत इजराय प्रस्तुत की है जो माननीय सहायक कलेक्टर, सिरोही के न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त इजराय के लम्बित रहते हुए अप्रार्थी चिमनसिंह के विरुद्ध प्रार्थी तहसीलदार, सिरोही ने यह प्रार्थना पत्र गलत रुप से प्रस्तुत किया है जो प्रथम दृष्टया काबिल खारिज के है। अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह भी व्यक्त किया कि प्रश्नगत भूमि का आवंटन हुये 46 वर्ष हो चुके है। आवंटन के दस वर्ष बाद आवंटि व आवंटित के उत्तराधिकारी स्वत: ही विधि में खातेदार कृषक बन गये है, 46 वर्षो की लम्बी अवधि के बाद आवंटन को निरस्त किया जाना न्यायोचित्त नही है। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा कि स्वर्गीय चिमनसिंह को प्रश्नगत कृषि भूमि दिनांक 31.8.1971 को आवंटित हुई है एवं उक्त आवंटित कृषि भूमि का कब्जा मौके पर चिमनसिंह जी को राजस्व कार्मिकों द्वारा सुपर्द किया था जिससे उक्त कृषि भूमि का नामान्तरकरण चिमनसिंह के हक में राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज किया गया। चिमनसिंह जी को खसरा संख्या 505 की कृषि भूमि में से 10 बीघा कृषि भूमि का आवंटन हुआ था तथा आवंटित कृषि भूमि का आवंटन हुये करीब 46 वर्ष हो चुके है जिससे प्रार्थी का यह आवेदन मियाद बाहर होने से विधि में परिपोषणीय नही है, इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं न्यायालय पत्रावली तथा प्रस्तुत दस्तावेजात का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया गया कि उपखण्ड अधिकारी, सिरोही द्वारा श्री चिमनसिंह पुत्र श्री भारत सिंह, जाति- राजपूत, निवासी- सिरोही को ग्राम माण्डवा के वर्तमान खसरा संख्या 813 रकबा 1.62 हेक्टेयर (जिसके पुराने खसरा संख्या 505 रकबा 10 बीघा है) किस्म बारानी 2 भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किया गया था। इस संबंध में प्रार्थी तहसीलदार, सिरोही का मुख्यत: यह कथन है कि "आवंटि चिमनसिंह व अप्रार्थीगण द्वारा आवंटित भूमि पर कभी भी काश्त नही की है एवं न ही कब्जा रहा है तथा आवंटि चिमनसिंह व अप्रार्थीगण द्वारा आवंटन शर्तो का उल्लंघन किया गया है।" जबकि अप्रार्थीगणा का यह कथन है कि "उक्त आवंटित भूमि पर अप्रार्थीगण के पूर्व रसाधिकारी आवंटि चिमनसिंह जी का कब्जा-काश्त एवं हक अधिकार उनके जीवनकाल तक गत 41 वर्षो से लगातार रहा है एवं चिमनसिंह जी की मृत्यु के बाद उक्त कृषि भूमि चिमनसिंह जी के

.....पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

वारिसान अप्रार्थीगण के कब्जे व खातेदारी हक अधिकार की कृषि भूमि है।'' अप्रार्थीगण का यह भी कथन है कि ''उक्त कृषि भूमि पर वर्ष 2012 की वर्षा ऋतु में बाबुलाल पुत्र अमराजी भाट निवासी- माण्डवा एवं कुन्दनसिंह पुत्र जोरावर सिंह राजपूत द्वारा अवैध कब्जा किये जाने पर मृतक चिमनसिंह ने उक्त बाबुलाल पुत्र अमराजी भाट, एवं कुन्दनसिंह पुत्र जोरावरसिंह राजपूत के विरुद्ध सहायक कलेक्टर, सिरोही के न्यायालय में धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत वाद प्रस्तुत किया था जिसके राजस्व वाद संख्या 224/2012 है तथा उक्त वाद में सहायक कलेक्टर, सिरोही द्वारा दिनांक 20.5.2013 को निर्णय पारित कर वादी चिमनसिंह के वाद को स्वीकार कर डिक्री किया गया तथा तहसीलदार, सिरोही को आदेश दिया कि ग्राम माण्डवा, पटवार हल्का गोल में वादी के खातेदारी में स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 813 क्षेत्रफल 1.6200 हेक्टेयर का कब्जा वादी को सुपर्द करे। वादी ने उक्त निर्णय की पालना करवाये जाने हेतु राजस्थान राज्य व अन्य के विरुद्ध इजराय प्रस्तुत की है जो माननीय सहायक कलेक्टर, सिरोही के न्यायालय में विचाराधीन है।''

प्रकरण में अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि श्री चिमनसिंह पुत्र श्री भारतसिंह, जाति- राजपूत, निवासी- सिरोही द्वारा श्री बाबुलाल पुत्र श्री अमराराम जी, जाति- भाट, निवासी- माण्डवा व अन्य के विरुद्ध सहायक कलेक्टर, सिरोही के न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183 के वाद प्रस्तुत किया गया। सहायक कलेक्टर, सिरोही द्वारा राजस्व वाद संख्या 224/2012 चिमनसिंह बनाम बाबुलाल व अन्य में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.5.2013 के अनुसार वादी का वाद स्वीकार किया गया एवं तहसीलदार (भूमिधारी) को आदेश दिया गया कि ग्राम माण्डवाडा, पटवार हल्का गोल, तहसील व जिला- सिरोही में स्थित वादी की कृषि भूमि खसरा संख्या 813 रकबा 1.6200 हेक्टेयर पर प्रतिवादीगण ने अवैध रुप से कब्जा कर रखा है, प्रतिवादीगण को बेदखल कर विवादित कृषि भूमि खसरा संख्या 813 रकबा 1.6200 हेक्टेयर का कब्जा वादी को सुपर्द करे। प्रार्थी के कथानुसार वादी चिमनसिंह ने सहायक कलेक्टर, सिरोही द्वारा पारित उक्त डिक्री की पालना हेतु प्रतिवादीगण के विरुद्ध आदेश 21 नियम 11 सी.पी.सी. के तहत इजराय प्रस्तुत की है जो सहायक कलेक्टर, सिरोही के न्यायालय में विचाराधीन है।

इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि सहायक कलेक्टर, सिरोही द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.5.2013 के द्वारा तहसीलदार (भूमिधारी) को यह आदेश दिये गये कि प्रश्नगत भूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल कर प्रश्नगत भूमि का वादी को कब्जा सुपर्द करे। जिसकी इजराय प्रतिवादीगण के विरुद्ध सहायक कलेक्टर, सिरोही के न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में, उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

अत: प्रार्थी तहसीलदार, सिरोही का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

28.05.18

(आशाराम डूडी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सिरोही